राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति
NCTE
NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/एचपी- 04/2001/ 1306 दिनांक : 27.07.2001

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन द्वारा सोलन पब्लिक स्कूल, बाई पास रोड, सोलन, हिमाचल प्रदेश-173212 ने बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक 31.12.1998 को आवेदन किया था ।

संस्था का दिनांक 17 मई, 1999 को संस्था के आवेदन पर सत्र 1999-2000 की मान्यता के विचार हेतु मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था के मूल्यांकन प्रतिवेदन, संस्था की मूल पत्रावली, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों /मानदंडों की प्रति तथा संस्था से प्राप्त उत्तर के आधार पर तैयार की गई टिप्पणी एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि समिति पटल पर निर्णय हेतु उत्तर क्षेत्रीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया था । समिति ने प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया था कि संस्था में पाई गई कमियों के संदर्भ में लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर दिया जाए । समिति के निर्णयानुसार संस्था को पत्र दिनांक 9/11.6.1999 प्रेषित किया गया था जिसमें संस्था से निम्नांकित कमियों के संदर्भ में लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था ।

1. शैक्षणिक स्टॉफ नहीं है ।
2. प्रशासनिक, तकनीकी एवं पुस्तकालय से संबंधित स्टॉफ नहीं है ।
3. अक्षय निधि नहीं है ।
4. सुरक्षित निधि नहीं है ।
5. भूमि मानदंडों से कम है ।
6. छात्रावास व स्टॉफ नहीं है ।
7. शुल्क का विस्तृत विवरण नहीं है ।

संस्था से प्राप्त उत्तर एवं संस्था की मूल पत्रावली, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किए गए । समिति ने प्रकरण पर विचार कर संस्था को सत्र 1999-2000 से बीएड पाठ्यक्रम की 60 सीटों की मान्यता देने का निर्णय लिया समिति के निर्णयानुसार संस्था को आदेश दिनांक 21.7.1999 के द्वारा बीएड पाठ्यक्रम की 60 सीटों की मान्यता प्रदान की गई थी ।

संस्था ने 60 अतिरिक्त सीटों के लिए भी समिति कार्यालय में आवेदन किया था जिसको उत्तर क्षेत्रीय समिति के निर्णयानुसार आदेश दिनांक 20.6.2000 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था । संस्था ने समिति कार्यालय के आदेश के विरुद्ध परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली में याचिका दायर की थी तथा परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली ने संस्था को सत्र 2000-2001 से 60 अतिरिक्त सीटों की मान्यता आदेश दिनांक 27.11.2000 के द्वारा प्रदान कर दी गई थी ।

C:\My Documents\Bansal.docC:\My Documents\Bansal.doc/Subhash Chand/ 80

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004
क्षेत्राधिकार : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116
Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-Mail : ncte@raj.nic.in Website : http://www.ncte-in.org